UPMP050007612022

न्यायालय Civil Judge (Sr.Dr), Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (SMT. NAMRATA SINGH) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP02070**

रजिस्ट्रेशन नम्बर 459/2022

मूलवाद संख्या 458 सन 2022

धर्मेन्द्र नरायन सिंह बनाम विजय शंकर आदि।

18–03–2023

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ आज मेर समक्ष पेश हुयी । पूर्व नियत तिथि पर वादी अधिवक्ता को प्रार्थना–पत्र 15–ग 2 पर सुना जा चुका है।

प्रार्थना–पत्र 15–ग 2 वादी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व अधिवक्ता महोदय कुछ आवश्यक तथ्यों को अंकित करना भूल गये जिस कारण उक्त वाद में कुछ त्रुटियाँ हो गयी है जिनका संशोधन होना संभव नहीं है। उक्त वाद में फार्मल डिफैक्ट उत्पन्न हो गया है। अतः याचना की गयी है कि उक्त वाद वापस किया जाकर नवीन वाद संस्थित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाद में अभी प्रतिवादीगण हाजिर नहीं हुए हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया है। चूंकि वादी अब उक्त वाद को नहीं चलाना चाहता है । उसको वाद चलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इन तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र 15–ग 2 स्वीकार किया जाता है। दावा वादी नियमानुसार वाद दायर करने की अनुमति के साथ वापस किया जाए। पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

नम्रता सिंह,
सिविल जज (प्रवर वर्ग)
मैनपुरी